फ़ोन, वीडियो कान्फ्रेन्सिंग और इन्टरनेट के ज़रिए निकाह

(कटौली लखनऊ में 13-16 अप्रैल 2001 ई0 को आयोजित 13 वें फ़िक़्ही सेमिनार में पास किया गया प्रस्ताव)

निकाह का मामला ख़रीद व फ़रोख़्त के मुआहदे (समझौते) से ज्यादा नाज़ुक है। इसमें इबादत का पहलू भी है और गवाहों की शर्त भी, इस लिए इन्टरनेट, वीडियों, कान्फ्रेन्सिंग और फ़ोन पर निकाह का समझौता विश्वसनीय नहीं। लेकिन अगर इन माध्यमों पर निकाह के लिए वकील नियुक्त किया जाए और वह गवाहों के सामने अपने मुवक्किल की तरफ़ से निकाह की रज़ामन्दी और क़बूलियत का ऐलान कर दे तो वकील बनाने वाले उस आदमी को जानते हों जिसने इनमें से किसी माध्यम के द्वारा उनके सामने किसी को अपना वकील नियुक्त किया हो, या निकाह के समय उस का नाम उसके पिता के नाम के साथ बताया जाए।

☆☆☆